Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAR-APR, 2022, VOL- 9/70

भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति उ.प्र. के ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के विशेष संदर्भ में

डॉ ललित कुमार सिंह

विभागाध्यक्ष – समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय गौंडा, अलीगढ़

डॉ शुभा सिंह

असि. प्रो. – समाज शास्त्र, एम. बी. डी. राजकीय महिला महा विद्यालय, ऑवलखेड़ा, आगरा

Paper Received On: 25 APR 2022

Peer Reviewed On: 30 APR 2022

Published On: 1 MAY 2022

Abstract

प्राथमिक शिक्षा के उत्थान हेतु पूर्व में गठित शैक्षिक आयोग, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा संचालन कार्यक्रम और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के व्यापक प्रचार–प्रसार नियोजित कार्यक्रमों के सफलतम क्रियान्वयन के बावजूद गुणवत्ता न्यूनता की समस्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है, विद्यालयों के शैक्षिक, सह शैक्षिक व भौतिक विकास के लिये आरटीई 2009 की धारा 21 के प्रावधानानुसार सभी विद्यालयों में शाला प्रबन्ध समिति का गठन कर लिया गया है। शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित परिवीक्षण भी किए जा रहे हैं हाल ही में विद्यालय पर्यवेक्षण कार्यक्रम' पूरे प्रदेश में लागू हुआ जिससे भी विद्यालयों की न्यूनताओं व अच्छाईयों को आंकलित किया गया है। निरन्तर प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता मानदण्डों की प्रतिपूर्ति में असफल रही है। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जा रही है किन्तु समन्वित प्रयासों की दिशा गुणवत्ता के प्रति सक्रिय व सजग हो सके, ऐसा अपेक्षित है। विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना शिक्षा की मजबूत व गुणवत्तायुक्त नींव के निर्माण से ही संभव है।

पारिभाषिक : प्राथमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, संचालन कार्यक्रम

स्वतंत्र भारत में शिक्षाः

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा– प्रथम वरीयता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना संबंध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है, उतना दूसरी सामाजिक, राजनैतिक, या षैक्षणिक गतिविधि का नहीं है । इसका संबंध किसी विषेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देष की सम्पूर्ण जनसंख्या से होता है। इसका हर कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है।डॉ. एस.के. अल्तेकेकर के अनुसार ''प्राचीन भारत में सम्भवतः 400 ई.पू. से पहले प्राथमिक षिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी षिक्षा का केन्द्र था। उसके पष्चात ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से षिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया''(भारतीय षिक्षा और उसकी संभावनायें पेज नम्बर –7) परन्तु फिर भी प्राथमिक षिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था।संतोष कुमार दास के अनुसार'' ब्राह्मणों के पास उस षिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे, जो उनके

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हाथो में नहीं थे'' (भारतीय षिक्षा और उसकी समस्याएँ –पेज 7) बावजूद इसके ऋग्वेद में यत्र तत्र ऐसे संकेत मिलते है जिनसे पाठषाला की भांति किसी षिक्षा संस्था की कल्पना की जा सकती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात प्रारम्भिक षिक्षा ने विकास कर स्वर्णिम युग में प्रवेष किया। संविधान सभा जिसे देश का संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। निःशुल्क एंव अनिवार्य षिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धान्त घोशित किया है। धारा 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बच्चों के लिये, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। षिक्षा के प्रसार के लिये इस स्तर के बावजूद प्रारम्भिक षिक्षा के संबंध में संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिये अभी बहुत कुछः किया जाना है। दूसरे षब्दों में अभी भी इस वांछित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के पथ में उपस्थित होने वाली समस्याएँ एंव कठिनाइयाँ विकास पथ में अवरोध उपस्थित करते हैं। दोषपूर्ण प्रशासन एवं आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ बाधक तत्वों में प्रमुख है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत कम समय पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था, जिसके संबंध में गोखले ने कहा था''षिक्षा की गुणात्मक उन्नति महत्वपूर्ण अवष्य है,, पर उस पर बल तभी दिया जाना चाहिये, जब निरक्षरता का अन्त हो सके''।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध नवीन सम्प्रत्यय है इससे अभिप्राय है कि विद्यालयी वातावरण में पूर्ण रूप से गुणवत्ता लाना। इस समय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की सभी स्तरों पर शिक्षाकर्मी गुणवत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों की उच्च शैक्षिक उपलब्धियों को देखा जा रहा है तथा प्री.बी.एड या प्री.एस.टी.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी.एड. व एस.टीसी. करते हैं फिर टी.ई.टी. (शिक्षक योग्यता परख) उत्तीर्ण करने के बाद ही वह मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकता है, निश्चित रूप से उच्च शैक्षिक स्तर के शिक्षक चयनित हो रहे हैं। कहना न होगा कि आज स्ववित्त पोषित संस्थाओं के विस्तार से सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध का महत्व और भी बढ गया है। नए विद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता देने से पूर्व निर्धारित मानकों की पूर्ति पर ध्यान दिया जावे। ऐसा करने से निश्चित ही शिक्षण में गुणवत्ता आयेगी। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने में सबसे अधिक प्रभावी घटक है।

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड डे मिल योजना)– प्राथमिक षिक्षा को बढावा देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का कार्यक्रम जिसे 15 अगस्त 1995 को शुरु किया गया। इसका मुख्य उदेद्ष्य स्कूलों में बच्चों का दाखिला व उपस्थिति सुधारना और उन्हें नियमित रुप से स्कूल आने के लिये प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। 1 जुलाई 2002 से सभी जिलों में गेहूँ को घूघरी या दलिये के रुप में पकाकर वितरित किया जा रहा था। वर्तमान में सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर गेहूँ की चपाती, चावल की खिचडी, मीठे चावल आदि मीनू चार्ट के अनुसार बनाएजाते है। सप्ताह में एक दिन फलों का वितरण भी होता है।

उदेश्यः

संख्यात्मक दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व विकास ने उनके उच्च आयामों को प्राप्त किया है। पर बालक बालिकाओं के गुणात्मक रुप से श्रेष्ठ स्तर प्राप्त कर पाने में अभी भी संषय बना हुआ है। पर्याप्त मात्रा में आर्थिक, भौतिक व मानवीय संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी समाज का पब्लिक व अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की ओर झुकाव प्राथमिक षिक्षा की

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

गुणवत्ता पर प्रष्न चिन्ह खडा करता है।शिक्षा का स्तर उठाने एवं गुणात्मक उन्नयन के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक कई आयोग बने, कई केन्द्र प्रवृर्तित योजनाएं चली और अभी भी चल रही है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ इन सब प्रयासों के बावजूद अभी भी शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन व 6 से 14 वर्ष के सभी बालिक–बालिकाओं को शिक्षा देने के लक्ष्य दूर की कौड़ी साबित हो रहा हैं जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहाहै। प्रस्तुत शोध के पीछे मंन्तव्य प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता मुद्दों को अन्वेषित करना है। साथ ही बिना समाज ग्राम शिक्षा समिति के सहयोगेग यह कठिन भी होगा। शाला प्रबध समिति व प्रशासन की भूमिका का आंकलन भी अपेक्षित है। प्रस्तुत शोध आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए शोध समस्या, इसके उद्देश्यों व परिकल्पना सहित सम्पूर्ण शोध संरचना का विवेचन प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नांकित उद्देष्य प्रस्तावित किये गये हैं।

1. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा के अपेक्षित व प्रभावी गुणवत्ता मुद्दों के सम्बन्ध में अभिमत ग्यात करना।
2. विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि स्तर का मूल्याकंन कर उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर का प्रतिपादन करना।
3. विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सामग्रियों की उपलब्धता व अनुप्रयोग संबंधी वस्तुस्थिति का पता लगाना।
4. शैक्षिक गुणवत्ता अभिवर्द्धन की दृष्टि से शाला प्रबंधन समितियों के कार्य प्रणाली का मूल्याकंन करना।
5. शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति प्रशासनिक सदस्यों द्वारा अपनाये गये प्रयासों की समीक्षा करना।
6. शैक्षिक गुणवत्ता स्तर की सम्प्राप्ति में बाधक कारकों का पता लगाना।
7. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता के अभिवर्द्धन हेतु अपेक्षित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना : शोध परिकल्पनायें समस्या के प्रति वर्तमान दषा व दिषा तथा वर्तमान धारणायें होती है। इन्हीं के आधार पर शोध समंको व विष्लेषणों को प्रतिपुष्टि व सार्थकता प्रदान की जाती है। प्रस्तुत शोध समस्या की निम्नांकित परिकल्पना प्रतिपादित की गयीः –

1 पूर्व शैक्षिक स्तर, भौतिक संसाधनों व शिक्षण सहायक सामग्रियों की पर्याप्तता तथा विद्यार्थियों की आर्थिक–सामाजिक दशायें भी गुणवत्ता की प्रतिस्थापना में प्रमुखतः सहायक है।

2 प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति हेतु किये गये अभिभावक सम्पर्क द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृध्दि की जा सकती है।

3. प्राथमिक विद्यालयों में विषय तथा कक्षावार पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध करा कर स्तर में सुधार सम्भव है।

विधि व प्रविधिः

विधि व प्रविधि अनुसंधान प्रकिया को परिचालित करने का एक तरीका है जो समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। जॉर्ज जे. मूले ने अनुसंधान की विधियों को तीन मौलिक रुपों में विभाजित किया है–

1. ऐतिहासिक विधि : इसका संबंध भुत काल से है तथा भविष्य को समझने के लिए भूत का विष्लेषण करती है।
2. प्रायोगिक विधि : इसका उद्देष्य वैज्ञानिक रुप से दो या दो से अधिक तत्वों में संबंध की व्याख्या करना होता है।
3. सर्वेक्षण विधि : सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र अनुसंधान सर्वेक्षण एक समस्या से संबंधित आंकडों को संकलित करना महत्वपूर्ण साधन एवं उपकरण है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आंकडों का वर्गीकरण , विश्लेषण एंव उपलब्धियॉः

तालिका नं. 1 : शिक्षकों की जातीय स्थिति एवं विवरण

क्रम	सामाजिक विवरण	संख्या	प्रतिषत
1	उच्च जाति	25	25.00
2	पिछडी जाति	29	29.00
3	निम्न जाति	465	46.00
	समस्त	100	100.00

तालिका नं. (2) : शिक्षकों की लिंग सापेक्ष स्थिति

क्रम	लिंग	आवृत्तियाँ	प्रतिषत
1	पुरूष	49	49.00
2	महिला	51	51.00
	समस्त	100	100.00

तालिका नं. (3) : स्वयं की शिक्षण दशाओं के प्रति निदर्शितों के अभिमतः लिकर्ट मनोवृत्ति मापक के अनुसार

क्रम	अभिमतों के सीमा विस्तार	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पूर्णतः सन्तुष्ट	5	05.00
2	कम सन्तुष्ट	13	13.00
3	उदासीन	54	54.00
4	असन्तुश्ट	18	18.00
5	पूर्णतः असन्तुष्ट	10	10.00
	समस्त	100	100.00

तालिका नं. (4) : 'क्या उपलब्ध षिक्षा सेवाओं का ग्रामीण समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है?'

क्रम	सूचनादाताओं द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	70	70.00
2	नहीं	30	30.00
	समस्त योग	100	100.00

तालिका नं0 (5) : गुणवत्ता युक्त शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ /प्रभावित करने वाले कारक

क्रमांक	प्रभावित करने वाले कारक	आवृति	प्रतिशत
1	राजनीतिक दबाव	45	45.00
2	प्रशासनिक सिफारिश	8	08.00
3	ग्राम प्रघानों का राजनीतिक हस्तक्षेप(प्रभाव)	4	04.00
4	उच्च अधिकारियों का लालचपूर्ण रवैया	10	10.00
5	विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, कुसमायोजन व अरूचि	20	20.00
6	सामाजिक स्तर पर शिक्षकों के सम्मान एंव गुरूर्देवो भव की भावना ह्रास	13	13.00
	समस्त योग	100	100.00

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

1. संस्थाप्रधान व अध्यापक वर्तमान प्रवेश व्यवस्था (आयु आधारित प्रवेश) को विद्यार्थियों के गुणवत्ता उन्नयन में बाधक मानते हैं।
2. पूर्वप्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को आवश्यक मानते हैं।
3. अधिकांश संस्थाप्रधान व शिक्षकों के अनुसार विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमी वस्टॉफ की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं।
4. संस्था प्रधान व शिक्षक इस तथ्य को नहीं मानते है कि अधिकांश विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि इतनी न्यून है कि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की पूर्ति नहीं हो सकती हैं।
5. विद्यार्थियों का घरेलु कार्यो में व्यस्त रहना, अभिभावकों का अशिक्षित होना,विद्यालयों में शिक्षकों की कमी,कुसमायोजन व अरूचि विद्यार्थियों की न्यून उपस्थिति व ठहराव के प्रमुख कारण हैं।

उपरोक्त तालिकाओं में प्राप्त आंकणें से स्पश्ट है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के समक्ष कई चुनौतियाँ भी है जिनमें से प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है :–

1. शिक्षकों की स्थाई नियुक्तियों के बारे में सरकारी तंत्र में स्पष्ट नीतियों का अभाव (विद्यार्थी मित्र,शिक्षाकर्मी एवं पैरा टीचर्स से अधिकांश प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं)

2. विभागीय नियमों–उपनियमों की विसंगतियाँ।

3. संस्था प्रधानों की बहुआयामी भूमिका की समस्याएँ।

4. शिक्षकों व छात्रों का शिक्षण संस्थाओं में ठहराव के समय निर्धारण की समस्या।

5. पाठ्यक्रमों की भिन्नता होना।

6. विद्यार्थियों का घरेलु परिवेश (अशिक्षित माता–पिता)

7. शिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली में जनसहभागिता का अभाव।

8. शिक्षण संस्थाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप की समस्याएँ।

9. सामुदायिक क्रियाकलापों के प्रति सरकारी उदासीनता।

10. पर्यवेक्षण कार्यक्रम में षिथिलता।

11. विद्यार्थियों का घरेलु कार्यो में व्यस्त रहना, अभिभावकों का अषिक्षित होना, विद्यालयों में षिक्षकों की कमी, कुसमायोजन व अरूचि विद्यार्थियों की न्यून उपस्थिति व ठहराव के प्रमुख कारण हैं।

12. विद्यार्थियों की उपस्थिति व ठहराव बढ़ाने के लिये अभिभावक सम्पर्क, विद्यार्थियों को प्रेरणा व प्रोत्साहन, सहपाठी सम्पर्क व घरेलू कार्यो से मुक्त कराना जैसे–सुझाव संस्था प्रधानों व षिक्षकों ने दिए हैं।

13लगभग एक तिहाई अधिकारी निरीक्षण के दौरान केवल कागजी औपचारिकताओं की पूर्ति करते है।

14. सामाजिक स्तर पर षिक्षकों के सम्मान एंव गुरूर्देवो भव की भावना में आने वाली कमी शैक्षिक गुणवत्ता स्तर की सम्प्राप्ति में बाधक हैं।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भः

सत्यार्थी, ऐ: ए रिपोर्ट ऑफ दी जोब ऐनालाइसिस ऑफ टीचर्स इन यू पी;, 2010, पृश्ठ 71

शर्मा, रमा; प्राथमिक शिक्षिकाएं : सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष, राष्ट्रीय शोध– पत्रिका 'सामाजिक विवेचन' विशेशांकः शिक्षाशास्त्र कार्य समिति, उदयपुर; प्रकाशितः मोहनलाल सुखाड़िया वि0वि0 उदयपुर (राज0), 2012, पृष्ठ 63

पाल, शिव; ग्रामीण समुदाय की प्राथमिक शिक्षा सेवाओं का विश्लेशणात्मक अध्ययन (जनपद आगरा के विशेष सन्दर्भ में), अप्रकाशित शोध प्रबन्धः 2011, पृ.203

पार्क जे0ई; ए टैक्स्ट बुक ऑफ प्रीवेन्टिव एण्ड सोसल एजूकेषन (ए ट्रीटाइज ऑन कम्युनिटी एजूकेषन) प्रकाशितः बनारसी दास भनोट प्रकाशन, जबलपुर (म0प्र0) 2011, पृष्ठ 715

अडवानी रमेश; ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा सेवा के सामाजिक पक्षः भाग–3 (विशेषांक) मोहनलाल सुखाड़िया वि0वि0, उदयपुर, 2010, पृष्ठ 96–97

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies